"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018 — फाल्गुन 25, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–31/2017/18. – छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 427 की उप–धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगरपालिक निगम रायपुर, एतद्द्वारा, नगरपालिक निधि एवं उपादान के प्रबंधन तथा विनियमन हेतु निम्नलिखित उप–विधि बनाती है, अर्थात् :–

उप–विधि

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.– (1) ये उप–विधि नगरपालिक निगम रायपुर (उपादान संदाय) उप–विधि, 2018 कहलायेगी।

   (2) ये उप–विधि, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.– (1) इन उप–विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956);

   (ख) ''निगम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम, रायपुर तथा उसके हितबद्ध उत्तराधिकारी;

   (ग) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है खंड 3 के अनुसार नगरपालिक निगम, रायपुर के कर्मचारी या अधिकारी;

   (घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) ''उपादान विधि'' से अभिप्रेत है उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) समय–समय पर यथा संशोधित तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और ऐसे नियमों के अंर्तगत शासन द्वारा जारी निर्देश।

   (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) या उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3. उप–विधि केवल कुछ कर्मचारियों पर लागू होगी.– इन उप–विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधान, केवल ऐसे कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो–

(क) नवंबर, 2004 के प्रथम दिवस को निगम के नियमित कर्मचारियों के रुप में सेवा में थे, और;

(ख) छत्तीसगढ़ नया पेंशन नियम, 1951 समय–समय पर यथा संशोधित तथा/या छत्तीसगढ़ सेवा (उपादान, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति) नियम, 1956 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

4. उपादान का संदाय.– (1) ऐसे सभी कर्मचारियों, जो खंड 3 के अंतर्गत आते हों, उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) उपादान की राशि, भुगतान की शर्तें तथा संदाय की रीति, उपादान संदाय अधिनियम द्वारा शासित होंगी:

परंतु यह कि खंड 3 के अनुसार उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र सभी कर्मचारी भी, इन उप–विधियों के अंर्तगत आयेंगे, भले ही वे सेवानिवृत्त हो चुके हों या मृत हो चुके हों।

5. उपादान निधि.– (1) निगम, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इन उप–विधियों के कारण होने वाली देनदारियों के भुगतान के लिये, प्रतिवर्ष प्राक्कलन करने की व्यवस्था करेगा।

(2) उपरोक्त उप–खंड (1) में यथा प्राक्कलित राशि, निगम के प्राक्कलित वार्षिक बजट में वेतन तथा भत्ता के अंतर्गत पृथक पृथक उप–शीर्षक के रूप में सम्मिलित की जायेगी।

(3) यदि किसी वर्ष में, उपादान की वास्तविक देनदारी, प्राक्कलित बजट से अधिक होती हो, तो निगम, उसके भुगतान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेगा तथा अगामी वित्तीय वर्ष तक के लिये भुगतान को लंबित नहीं रखेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5–31/2017/18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–31/2017/18 दिनांक 12–3–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 12th March 2018

NOTIFICATION

No. F 5-31/2017/18. – In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 427 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Municipal Corporation of Raipur, hereby, makes the following byelaws for management and regulation of Municipal fund and gratuity, namely :-

BYELAWS

1. Short title and commencement. - (1) These Byelaws may be called the Municipal Corporation Raipur (Payment of Gratuity) Byelaws, 2018.

(2) These byelaws shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions .- (1) In these byelaws, unless the context otherwise requires ,-

(a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(b) "Corporation" means the Chhattisgarh Municipal Corporation, Raipur and its successors in interest;

(c) "Employee" means an employee or an officer of Municipal Corporation, Raipur in terms of clause 3;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Gratuity Law" means the Payment of Gratuity Act, 1972 (Central Act No. 39 of 1972), as amended from time to time and the rules framed under it and instructions issued by the Government under such rules.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) or the Payment of Gratuity Act, 1972 (Central Act No.39 of 1972).

3. Byelaws to apply only on certain Employees. - The provisions contained in these byelaws shall apply only on such employees who -

(a) were in service as regular employees of the Corporation on the first day of November, 2004, and;

(b) are not covered by the Chhattisgarh New Pension Rules, 1951 as amended from time to time and/or Chhattisgarh Services (Gratuity, Pension and Retirement) Rules, 1956.

4. Payment of Gratuity. - (1) All employees covered under clause 3 shall be eligible to receive gratuity.

(2) The amount of gratuity, terms of payment and manner of payment shall be governed by the Payment of Gratuity Act:

Provided that all employees eligible to receive gratuity according to clause 3 shall be covered under these byelaws even if they have retired or have expired.

5. Gratuity Fund.- (1) The Corporation shall provide an estimate every year, for the liability of payment falling during the coming financial year arising on account of these byelaws.

(2) The amount as estimated in sub-clause (1) above shall be included in the annual budget estimates of the Corporation as a separate sub-head under Salary and Allowances.

(3) In any year, if the actual liability of gratuity exceeds the estimate in the budget, the Corporation shall make alternate arrangements for its payment and shall not keep the payment pending till the next financial year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.